

पर करीब, 2,000 labourers reside कर रहे हैं। Problem यह है कि रायगड़ा में गवर्नमेंट की जगह है ही नहीं, except railway land. पहले जो महाराजा, जयपुर थे, उस वक्त रेलवे ने जितनी जगह की मांग की थी, उतनी जमीन रेलवे को दे दी गयी थी, इसलिए रेलवे के पास बहुत जगह है। यहां तक कि आपके division के लिए जितनी जगह की जरूरत है, उसके बावजूद भी वहां पर बहुत सी जगह खाली पड़ी रहेगी। इसलिए मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनके लिए जितनी जरूरत हो, उतनी लैंड स्पेयर करे। जरूरत पड़ने पर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की लैंड रेलवे को किसी और जगह पर देने की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो ये 10 हजार लोग हैं, जो रेलवे की जगह पर reside करते हैं, यह सब लोग रायगड़ा टाउन पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इसीलिए उनको कंसिडर करने के लिए मेरा सुझाव है।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Bhaskar Rao Nekkanti.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Bhaskar Rao Nekkanti.

श्री सभापति: मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कृपया सदस्य इस विषय पर ध्यान दीजिए।

Railways is always growing. Railways need some space also. Rehabilitation is very important. I allowed you to ask for rehabilitation but not at the present site or next to the railway station, etc. This is becoming a tendency everywhere including my town. There is also this demand. Finally, at the end of it, at airports, you are seeing what is happening, like, in Mumbai airport and others. We must see to it that they are properly rehabilitated and their interests are taken care of. Now, Shri Rajmani Patel.

**Need to implement recommendations of the Koshyari Committee
for the benefit of pensioners**

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के संबंध में है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक सरकार के खजाने में जमा है। पेंशनभोगियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 24 वर्षों से करीब 6 करोड़ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने तथा हायर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेंशन दी जा रही है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह उनकी मेहनत और सम्मान का अपमान है, जिन्होंने

[श्री राजमणि पटेल]

देश और प्रदेश के लिए सेवा की, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। सरकार द्वारा कोशियारी कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 10 माननीय सांसद और 4 अधिकारी थे। कमेटी ने 29 अगस्त, 2013 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कर्मचारियों को कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन तथा प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई थी। कमेटी के कर्मचारियों द्वारा 8.33 प्रतिशत अंशदान देने को हास्यास्पद बताते हुए पूरा अंशदान देकर न्याय देने की बात कही थी। कर्मचारी पेंशन को पूरा सूचकांक से जोड़ने की भी अनुशंसा थी।

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.सी. गुप्ता विरुद्ध केन्द्र सरकार के फैसले में कहा था कि यदि कर्मचारी ने पूर्ण वेतन पर भविष्य निधि अंशदान जमा कराया है, तो उसको पूर्ण वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण की पात्रता है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 23.03.2017 को आदेश प्रसारित किए गए थे और देश भर में हायर पेंशन का निर्धारण भी शुरू हुआ था। वर्तमान में देश में लगभग 23 हजार कर्मचारियों को हायर पेंशन मिल रही थी, लेकिन ईपीएफओ द्वारा विगत एक वर्ष से हायर पेंशन का लाभ देना भी बंद कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से पेंशनभोगी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पेंशनभोगियों की गंभीर...

MR. CHAIRMAN: Rajmaniji, your time is over.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar) : Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Rajmani Patel.

SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Rajmani Patel.

Change in the arrangement of Private Member Bills in the Rajya Sabha

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Chairman, Sir, in this House, Private Members' Bills and Resolutions are typically taken up on Friday afternoon. The attendance of Members in the House at that time is generally very poor because several Members take off to visit their constituencies.

As a result, the importance attached to Private Members' Bills has been waning and, in general, the seriousness attached to consideration and passing of Private Members' Bills has been grossly undermined, which is most unfortunate. Sir, it is my submission that consideration be given to changing the arrangements of business such that Private Members' Bills can be taken up on a day falling in the middle of the week, rather than at the end of the week.